

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	दि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	195	633	0.9737	हंसा पुत्र खासाजी हि. 1/3 जात्रि रानपुत सा-खड़ा खातेपर रहिन हि. 1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान मखधरा मतामीण लैंड शाख आबूरोड शीष खाता बंदस्तूर जमाबंदी	हंसा पुत्र खासाजी हि. 1/3 जात्रि मानी सा-खड़ा खातेपर रहिन हि. 1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान मखधरा मतामीण लैंड शाख आबूरोड शीष खाता बंदस्तूर जमाबंदी	

मुताबिक मिसल/जमाबंदी संघत 2076-2079 (वर्ष 2019) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिपोर्ट से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का-खड़ा भू०अ०नि०-आबूरोड की रिपोर्ट व साबिक रिपोर्ट के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण भन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड को सादर प्रेषित है।

प०हल्का-खड़ा भू०अ०नि०-आबूरोड राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में जमल किया जावे।

Bhush
24/12/25
पटवारी (भू. अ.)
पटवार मखधरा खड़ा
हव पटवारी
तहसील-आबूरोड (सिराही)
प०हल्का-खड़ा

दिनांक 24/12/25

[Signature]
ह० भू०अ०नि०
24/12/25
आबूरोड

[Signature]
24/12/25
ह० राजस्व अधिकारी
तहसीलदार आबूरोड
जिला-सिराही

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड
ह० उपखण्ड अधिकारी

दिनांक